(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

**अधिसूचना सं. 50/2015–2020**
**नई दिल्ली, दिनांकः–8 जनवरी, 2019**

**विषयः– आईटीसी (एचएस) 2017 की अनुसूची–I (आयात नीति) के तहत इलेक्ट्रानिक्स और आईटी वस्तुओं हेतु आयात नीति।**

**सा.आ.(अ):** समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा सामान्य टिप्पणियां 2(ग) के अंतर्गत नए इलेक्ट्रानिक्स और आईटी वस्तुओं हेतु निम्नलिखित आयात नीति और नीतिगत शर्त को शामिल करती हैः–

**इलेक्ट्रानिक्स और आई टी वस्तुओं हेतु आयात नीतिः**

समय–समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश 2012 के तहत अधिसूचित वस्तुओं का आयात, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) में पंजीकरण, अथवा राजपत्र अधिसूचना सा.आ. सं. 3022 दिनांक 11.09.2013 के प्रावधानों के अनुसार किसी विशेष खेप हेतु इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से विशिष्ट छूट प्रदान किए जाने के अधीन अनुमत होगा। तदनुसार यथा संशोधित सीआरओ, 2012 में उल्लिखित अपंजीकृत/गैर अनुपालन अधिसूचित उत्पादों का आयात ''प्रतिबंधित'' है।

बीआईएस में बिना वैध पंजीकरण की आयात खेपों को आयातक द्वारा पुन निर्यात किया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर सीमा शुल्क विभाग वस्तुओं को विरुपित करेगा और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सूचित करते हुए उन्हें स्क्रैप के रुप में निपटान करेगा।

2. इसके अलावा उपर्युक्त को आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची 1 (आयात नीति) के अध्याय 84 के अंतर्गत नीतिगत संख्या 2 और अध्याय 85 के अंतर्गत नीतिगत संख्या 5 के रुप में भी शामिल किया जाता है।

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 के अंतर्गत अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में आयात नीति निर्धारित की जाती है।

यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा० सं० 01/89/180/39/एएम–13/पीसी–2(अ)/ई 2261 से जारी)